राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद
(राजस्थान सरकार का वैधानिक निकाय)
पशुधन भवन परिसर
टोंक रोड, जयपुर–302015 (राज.)
दूरभाष / फैक्स नं. : 0141–2742671
E-mail: registrarrsvc88@gmail.com

Rajasthan State Veterinary Council
(Statutory body of Governemnt of Rajsthan)
Pashudhan Bhawan Campus
Tonk Road, Jaipur- 302015 (Raj.)
Phone / Fax No. : 0141-2742671
E-mail: registrar.rsvc@rajasthan.gov.in

क्रमांक / प.2(18)आर.वी.सी. / लेखा / 2024–25 / 174 दिनांक : 29/9/25

सीमित निविदा संख्या–01

राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, जयपुर के अधीन विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय एंव भुगतान वाउचरों से प्राप्त एंव कटौती की गई जीएसटी / जीएसटी(टीडीएस) / टीडीएस / कार्यालय का वार्षिक रिटर्न(आवश्यक हो तो) तथा राज्य / केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न आय / भुगतान पर धारित करों को नियमानुसार प्रतिमाह सम्बंधित विभाग में जमा करायें जाने तथा उनकी मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक रिटर्न समय पर सम्बंधित विभाग में दाखिल किये जाने हेतु पंजीकृत चार्टेड अकाउंटेन्ट से सीमित निविदा आमंत्रित की जाती है। जिसके सम्बंध में निविदा की शर्ते / भुगतान एंव अनुभव का विवरण निम्नानुसार है।

निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले दस्तावेज

1. सम्बंधित संस्था / फर्म / चार्टेड एकाउन्टेन्ट के पंजीयन सम्बंधी दस्तावेज की प्रति।
2. जीएसटी नं0————————————
3. पेन नं0————————————
4. ई मेल का विवरण ————————————
5. कार्यालय / पत्र व्यवहार का सम्पूर्ण पता————————————
————————————————————————
6. संस्था का फोन नं0 / मो0 नं0————————————
7. बैंक पास बुक / निरस्त चैक की प्रति।
8. राजकीय / निगम / बोर्ड में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव जिसके प्रमाण स्वरूप सम्बंधित उपापन संस्था द्वारा जारी संतोष जनक प्रमाण–पत्र।
9. कार्य के सम्बंध में सम्पूर्ण विवरण / जानकारी कार्यालय समय प्रातः 09.30 बजे से सांय 6.00 बजे तक कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।
10. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि :– 07.10.2025 दोपहर 2:00 बजे तक
11. वित्तिय निविदा प्रपत्र

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	प्रस्तुत दर	जीएसटी	कुल योग
1	जीएसटी चालान जनरेट करना / प्रतिमाह जमा कराया जाना / सम्बंधित विभाग के निर्धारित समयानुसार रिटर्न जमा कराया जाना। (GSTR-1 to GSTR-9A) जो भी लागू हो।			

2	जीएसटी(टीडीएस) / टीडीएस / प्रतिमाह जमा कराया जाना / मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक / फॉर्म 16 / 16A /24Q to 27EQ (जो भी लागू हो) सम्बंधित विभाग के निर्धारित समयानुसार जारी / रिटर्न जमा कराया जाना			

नोटः– दरें वार्षिक आधार पर दी जावें जिन्हे त्रैमासिक में विभाजित कर सम्पूर्ण रिटर्न सम्बंधी दस्तावेज परिषद में उपलब्ध कराने पर भुगतान किया जावेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

WORK OF SCOPE

1. परिषद में प्राप्त आय पर ली जाने वाली जीएसटी / जीएसटी(टीडीएस) / टीडीएस राशि का प्रतिमाह चालान द्वारा सम्बंधित मद व विभाग में नियत तिथि पर जमा कराया जाना सुनिश्चित हो।
2. परिषद द्वारा प्राप्त की जाने वाली सभी तरह के मूल शूल्क राशि पर समय–समय पर प्रस्तावित जीएसटी / जीएसटी(टीडीएस) / टीडीएस निर्धारित दरों के अनुरूप काटे जाने सम्बंधि सुनिश्चितता।
3. जीएसटी / जीएसटी(टीडीएस) / टीडीएस की मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक रिटर्न (GSTR-1 to GSTR-9A) (24Q to 27EQ) जो भी लागू हो / सम्बंधित विभाग को समय पर दाखिल किया जाना संवेदक की जिम्मेवारी होगी।
4. कार्यालय का मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक आयकर रिटर्न (नियमों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो) एसी स्थिति में सम्बंधित विभाग को निर्धारित समय पर दाखिल किया जाना संवेदक की जिम्मेवारी होगी।
5. परिषद में सभी स्त्रोतों से प्राप्त आय तथा भुगतान पर काटे जाने वाले जीएसटी / जीएसटी(टीडीएस / आयकर राज्य / केंद्र / सरकार द्वारा निर्धारित / समय–समय पर संशोधित दरों के अनुरूप काटे जाने सम्बंधी सुनिश्चितता।

6. सरकार द्वारा परिषद पर आरोपित विलम्ब शुल्क/ब्याज की गणना करना तथा निर्धारित समय अनुरूप उक्त राशि को सम्बंधित विभाग में जमा कराया जाना।
7. फॉर्म 16 व 16A जारी करना।
8. परिषद् में संचालित कार्यो पर लागू होने वाले करो के संबंध में राय देना।
9. करो से संबंधित सभी प्रकार के चालान जनरेट करना।
10. जीएसटी/जीएसटी(टीडीएस)/टीडीएस की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक रिटर्न के संबंध में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर उसका निस्तारण करना।

निविदा की विशिष्ठ शर्तें

1. निविदा प्रपत्र पूर्ण हस्ताक्षरित मय आवश्यक दस्तावेजों की प्रति सहित दिनांक 07.10.2025 को दोपहर 2.00 बजे तक राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, पशुधन भवन, टोंक रोड, जयपुर में आवश्यक रूप से जमा कराया जाना होगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 08.10.2025 को प्रातः 11.00 बजे उपस्थित निविदाता के समक्ष खोली जावेंगी।
2. विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकार योग्य नहीं होगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ सभी दस्तावेजों पर संवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक है।
4. निविदा स्वीकृति उपरान्त निविदादाता द्वारा बोली राशि का 5 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि परिषद में 7 दिवस में जमा कराई जाकर एक 500/–रू0 के स्टाम्प पेपर पर करार किया जाना होगा।
5. निविदा की अवधि निविदा स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष के लिये मान्य होगी। यदि आवश्यक हुआ तो निविदा अवधि का विस्तार RTPP ACT. 2012/RULE 2013 के नियमानुसार समान दरों पर किया जा सकेगा।
6. कार्य विवरण अनुसार सभी करों को समय पर सम्बंधित विभाग में जमा कराया जाना संवेदक की जिम्मेवारी होगी। यदि सम्बंधित संवेदक द्वारा समय पर राशि/रिर्टन जमा नहीं कराये जाने के कारण परिषद् पर कोई विलम्ब शुल्क/ब्याज/शस्ति आरोपित की जाती है तो उस राशि को सम्बंधित संवेदक द्वारा जमा कराया जाना होगा।
7. परिषद द्वारा काटे गये सभी करों को सम्बंधित विभाग में समय पर जमा कराये जाने तथा सभी प्रपत्रों में रिटर्न निर्धारित समयानुसार जमा कराये जाने के उपरान्त उनकी एक प्रति परिषद् को उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त स्वीकृत राशि का भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जावेगा।
8. संवेदक को किये जाने वाले भुगतान पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जावेगी।
9. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये आंशिक/पूर्ण रूप से स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार पंजीयक का होगा।

10. संवेदक द्वारा निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण नहीं करने अथवा लापरवाही करने पर निविदादाता को बिना नोटिस दिये निविदा समाप्त करने का पूर्ण अधिकार पंजीयक का होगा।
11. संवेदक को दरें निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी प्रस्तुत दरों में की गई कटींग को स्वीकार नहीं किया जावेगा और निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।
12. निविदादाता निविदा प्रपत्र के सम्पूर्ण पृष्ठों पर सहमति पूर्वक अपने हस्ताक्षर करेगा।
13. अंतिम तिमाही का भुगतान सम्पूर्ण वार्षिक रिटर्न जमा होने तथा जी.एस.टी. व टी.डी.एस. से संबंधित कार्य पूर्ण होने के उपरांत ही किया जावेगा।
14. निविदा से संबंधित वित्तीय वर्ष के वार्षिक दस्तावेज संबंधित विभाग में जमा कराया जाना संवेदक की जिम्मेवारी होगी जबकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पश्चात उक्त निविदा समाप्त ही क्यो ना की जा चुकि हो।

(डॉ. विकास शर्मा)
पंजीयक

निविदादाता के हस्ताक्षर

क्रमांक / प.2(18)आर.वी.सी. / लेखा / 2024–25 / 175-187 दिनांक : 29/9/25

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. लेखा शाखा, राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, जयपुर।
2. नोटिस बोर्ड, निदेशालय पशुपालन / गोपालन / आर.एल.डी.बी. / आर.एस.वी.सी. जयपुर।
3. राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद् जयपुर की विभागीय वेबसाईट www.rajvetcouncil.in पर अपलोड कराने कराने का श्रम करावें।
4. निदेशक पशुपालन विभाग, जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि उक्त सीमित निविदा को विभागीय वेबसाईट http://animalhusbandry.rajasthan.gov.in पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
5. मैसर्स Kumar kedia & Company (gmail - Kumarkedia@gmail.com)
6. मैसर्स Tibrewal Chand & Co. (gmail – anoop.goyal@ tibrewalchand.com)
7. मैसर्स AAC Financial services Pvt. Ltd (gmail – aac.financialservices@gmail.com)
8. मैसर्स ASVK & ASSOCIATES (asvk.jaipur@gmail.com)
9. मैसर्स KHANDELWAL MAHESHWARY& COMPANY (kmco.jaipur@gmail.com)
10. रक्षित पंजिका।

पंजीयक